

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान मुद्रा वाद संख्या- 13/2013-14

भीम सिंह बोयपाई एवं अन्य।

बनाम


सादो बोयपाई।


आदेश

यह वाद दिनांक- 07.10.2013 को वादी भीम सिंह बोयपाई, पिता- स्व० प्रधान बोयपाई एवं 7 अन्य, ग्राम- बरकेला, टोला- सिकुरसाई, थाना- मुफसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा वाद पत्र के Schedule में वर्णित राशि वासूली हेतु प्रतिवादी सादो बोयपाई, पिता- स्व० सिकुर बोयपाई, थाना- मुफसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध दायर किया गया है। लेकिन लम्बे समय से उभय पक्ष अथवा उनके अधिवक्ता की ओर से कोई पैरवी नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि वादी प्रतिवादी को इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं है।

अतः उक्त के आलोक में वाद को खारीज (Dismiss for Default) करते हुए वादी की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


29.03.22
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।


29.03.22
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा